न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 88/2023 FSSA

1. सरकार जरिये डॉ0 मदनलाल गूजर खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री सुरेश कुमार सैनी पुत्र श्री फैली राम सैनी
विक्रेता/प्रबन्धक मैसर्स श्री गणेश बीकानेर स्वीट्स एण्ड बेकरी सोमनाथ सर्किल के पास दौसा निवासी खवाराव जी तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. श्री सज्जन लाल पुत्र श्री गिरधारी लाल
मालिक/प्रोपरायटर मैसर्स श्री गणेश बीकानेर स्वीट्स एण्ड बेकरी सोमनाथ सर्किल के पास दौसा निवासी—85 आगरा रोड सोमनाथ सर्किल दौसा जिला दौसा।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस की धारा 26 की उप धारा 2(II)(V) एवं दंडनीय धारा 52 व 58 एफएसएस रूल्स 2006 एवं 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 24.04.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. मदनलाल गूजर ने दिनांक 25.08.2023 को 11:21 ए.एम. पर मैसर्सः—श्री गणेश बीकानेर स्वीट्स एण्ड बेकरी सोमनाथ सर्किल के पास दौसा निवासी—85 आगरा रोड सोमनाथ सर्किल दौसा जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय वहां श्री सुरेश कुमार सैनी पुत्र श्री फैली राम सैनी उपस्थित मिला, जिसको अपना परिचय दिया तथा परिचय पूछने पर श्री सुरेश कुमार सैनी ने स्वयं को मैसर्सः— श्री गणेश बीकानेर स्वीट्स एण्ड बेकरी सोमनाथ सर्किल के पास दौसा निवासी—85 आगरा रोड सोमनाथ सर्किल दौसा जिला दौसा का नौकर/विक्रेता होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र दिखाकर श्री सज्जन लाल को उक्त फर्म का मालिक होना बताया। निरीक्षण के समय दुकान में अन्य खाद्य पदार्थो के साथ एल्यूमिनियम की ट्रे में लगभग 5—6 किलोग्राम बेसन के लड्डू घी से निर्मित **(Made From Ghee)** रखे हुये थे। जिसका निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो विक्रेता श्री सुरेश कुमार सैनी को नियमानुसार फार्म 5 ए की सूचना देते हुये विक्रेता व गवाहान के फॉर्म 5 ए पर हस्ताक्षर करवाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म 5 ए की एक प्रति विक्रेता श्री सुरेश कुमार सैनी को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताया कि यह खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू घी से निर्मित **(Made From Ghee)** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एल्यूमिनियम की ट्रे में रखे लगभग 5—6 किलोग्राम बेसन के लड्डू घी से निर्मित **(Made From Ghee)** में से कुल 2 किलोग्राम बेसन के लड्डू घी से निर्मित वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने साफ व सूखी पॉलीथीन में इलेक्ट्रानिक मापक मशीन से तुलवाकर खरीदा तथा श्री सुरेश कुमार सैनी को बाजार भाव से 2 किलोग्राम बेसन के लड्डू घी से निर्मित के 640/—रूपये (अक्षरे छह सौ चालीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता व गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 किलोग्राम बेसन के लड्डू घी से निर्मित को श्री सुरेश कुमार सैनी एवं गवाहान को दिखाकर चार साफ सूखी प्लास्टिक की शिशियों में बराबर—बराबर प्रत्येक शिशी में 500—500 ग्राम बेसन के लड्डू इलेक्ट्रानिक मापक मशीन से तुलवाकर भरा तथा प्रत्येक शिशियों में बतौर परिरक्षक 40—40 बून्द फार्मेलीन की डालकर प्रत्येक शिशीयों के ढक्कन लगाकर नियमानुसार एयरटाईट बन्द किया तथा नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिये गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक **AG—3753** अंकित किया तथा प्रत्येक लेबल पर विक्रेता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.04.30 11:25:56 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री सुरेश कुमार सैनी तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारो नमूना भागों को अलग–अलग एक खाकी कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर **AG**–3753 को नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया। डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी चतुर्थ सैनी कर्मचारी कार्यालय **CM&HO** दौसा को भेजकर दिनांक 29.08.2023 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर को तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाये। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 27.08.2023 को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू घी से निर्मित **(Made From Ghee)** के नमूने की जॉच रिपोर्ट संख्या एल. एस./1584/एक्ट/2023/1606 दिनांक 10.09.2023 के अनुसार विक्रेता श्री सुरेश कुमार सैनी से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू घी से निर्मित **(Made From Ghee)** का नमूना खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम की धारा **(3(1)(zx)** का पालन नहीं करने के कारण अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट में नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाये जाने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा उपस्थित होकर मौखिक रूप से बहस करने का निवेदन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./1584/एक्ट/2023/1606 दिनांक 10.09.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू घी से निर्मित **(Made From Ghee)** के नमूने में **B.R. Reading 52.1** एवं **Iodine Value 61.29** पाई गई है जो कि तय मानको से काफी अधिक है। उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने में **Saponification Value of extracted oil 198.9** ही पाई गई है, जो कि तय मानको से कम है। उक्त खाद्य पदार्थ को बनाते समय उपयोग में लिये गये घी की शुद्धता खाद्य सुरक्षा मानको के अनुरूप नहीं होने के कारण जांच रिपोर्ट में **B.R. Reading & Iodine Value** तय मानको से अधिक तथा **Saponification Value of extracted oil** तय मानको से कम पाये जाने के कारण यह खाद्य पदार्थ एफएसएस एक्ट 2006 के सेक्शन **3(1)(zx)** के अंतर्गत अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है, जो कि एफएसएसए की धारा 26 की उप धारा **(2)(II)** का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण संख्या 1 व 2 [illegible] के दौरान निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू घी से निर्मित **(Made From Ghee)** को बनाते समय दुकान के कर्मचारी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो कडाई उपयोग में ली गई थी उसे बिना [illegible] किये ही कडाई में घी डालकर बेसन के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.04.30 11:25:56 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लड्डू बना दिये जाने के कारण उक्त बेसन के लड्डू घी से निर्मित **(Made From Ghee)** का नमूना जांच रिपोर्ट में अमानक स्तर का आया है। हमारे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ में किसी प्रकार की कोई मिलावट जानबूझकर नहीं की गई है। दुकान में कार्यरत कर्मचारी अप्रार्थी संख्या 1 से अन्जाने में यह गलती हुई है। भविष्य में हमारे द्वारा ऐसी गलती नहीं दोहराई जावेगी। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 व 2 द्वारा प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./1584/एक्ट/2023/1606 दिनांक 10.09.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू घी से निर्मित **(Made From Ghee)** को बनाते समय उपयोग में लिये गये घी की शुद्धता खाद्य सुरक्षा मानको के अनुरूप नहीं होने के कारण जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू घी से निर्मित **(Made From Ghee)** का नमूना अमानक**(Substandard)** स्तर का पाया गया है। जो कि एफएसएसए धारा 26 की उप धारा **(II)** का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट की धारा 51 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 व 2 द्वारा निर्मित एवं विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू घी से निर्मित **(Made From Ghee)** जांच रिपोर्ट में अमानक **(Substandard)** स्तर का पाये जाने पर अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 श्री सुरेश कुमार सैनी पुत्र श्री फैली राम सैनी विक्रेता/प्रबन्धक मैसर्स श्री गणेश बीकानेर स्वीट्स एण्ड बेकरी सोमनाथ सर्किल के पास दौसा निवासी खवाराव जी तहसील सिकराय जिला दौसा एवं अप्रार्थी संख्या 2 श्री सज्जन लाल पुत्र श्री गिरधारी लाल मालिक/प्रोपरायटर मैसर्स श्री गणेश बीकानेर स्वीट्स एण्ड बेकरी सोमनाथ सर्किल के पास दौसा निवासी–85 आगरा रोड सोमनाथ सर्किल दौसा जिला दौसा पर 2,00,000/–(अक्षरे दो लाख रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्तगण उक्त राशि निर्णय दिनांक 24.04.2024 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)** के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/FSSA/ 2024/ दिनांकः– 24.04.2024

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री सुरेश कुमार सैनी पुत्र श्री फैली राम सैनी विक्रेता/प्रबन्धक मैसर्स श्री गणेश बीकानेर स्वीट्स एण्ड बेकरी सोमनाथ सर्किल के पास दौसा निवासी खवाराव जी तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. श्री सज्जन लाल पुत्र श्री गिरधारी लाल मालिक/प्रोपरायटर मैसर्स श्री गणेश बीकानेर स्वीट्स एण्ड बेकरी सोमनाथ सर्किल के पास दौसा निवासी–85 आगरा रोड सोमनाथ सर्किल दौसा जिला दौसा।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.04.30 11:25:56 IST
Reason: SelfAttested